

# नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ /00/921/927/FA.Sa/NOC/2020-A/Fire Service/N.O.C/20-A /फायर सर्विस /  
एन०ओ०सी० /2026/ रायपुर

दिनांक : 27/01/2026

प्रमाणित किया जाता है कि श्री Bhavan's R. K. Vidya Mandir के परिसर Bhavan's R. K. Vidya Mandir GSI-TI VIA-MCF Village Baronda, Saddu Raipur में स्थित Bhavan's R.K.Sarda Vidya Mandir का इस विभाग द्वारा ""अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र"" पत्र क्रमांक- /00/921/927/FA.Sa/NOC/2020-A/Fire Service/N.O.C/20 दिनांक 30/11/2023 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री पुष्परज सिंह द्वारा श्री खिलेश गुप्ता की उपस्थिति में दिनांक 23/01/2026 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

### शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मार्ग ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से Bhavan's R.K.Sarda Vidya Mandir में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः Bhavan's R. K. Vidya Mandir की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा अनुसार परिसर में अग्निशमन हेतु लैंडिंग वाल्व स्थापित करने, फायर एक्सटिंग्यूशर बढ़ाने की शर्त पर संस्था के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।



जारी दिनांक : 27/01/2026

  
DIRECTOR  
Training Operation  
Fire & Emergency Services  
Home Guard And Civil Defence C.F.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर